न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या–28/2013

1–रामवीर पुत्र भगवानसिंह जाति गडरिया निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.......वादी

बनाम

1–कम्पूरी वेवा भगवानसिंह जाति बघेला 2–गोपाल 3–राकेश पुत्रगण भगवानसिंह निवासी सैपऊ 4–शारदा पुत्री भगवानसिंह पत्नी केशव जाति बघेला निवासी सैपऊ हाल निवासी बिज्जा का पुरा उपतहसील मनिया तहसील व जिला धौलपुर 5–मीरा पुत्री भगवानसिंह पत्नी स्व0 बनवारी जाति बघेला निवासी सैपऊ वर्तमान निवासी ग्राम गोरऊ तहसील खेरागढ जिला आगरा 6–सुक्खन 7–राजवीर 8–सीताराम 9–भूरा पुत्रगण रम्भू जाति बघेला निवासी ग्राम सैपऊ 10–रज्जो पुत्री रम्भू पत्नी रामवीर जाति बघेला निवासी ग्राम सैपऊ वर्तमान निवासी ग्राम जाटौली तहसील व जिला धौलपुर 11–बैकुन्टी पत्नी स्व0 रामखिलाडी जाति बघेला निवासी ग्राम सैपऊ 12–पूरनसिंह 13–सुरेश 14–मातादीन पुत्रगण रामखिलाडी जाति गडरिया (बघेला) निवासी ग्राम सैपऊ 15–गुड्डी पुत्री रामखिलाडी पत्नी रामवरन जाति बघेला निवासी ग्राम सैपऊ वर्तमान निवासी ग्राम जाटौली तहसील व जिला धौलपुर 16–मोहनसिंह 17–कमलसिंह 18–हरीसिंह पुत्रगण श्यामा जाति बघेला निवासी ग्राम सैपऊ 19–विद्या पुत्री श्यामा पत्नी कप्तान जाति बघेला निवासी सैपऊ वर्तमान निवासी ग्राम बसेरी चाहर तहसील किरावली जिला आगरा 20–निरोतीलाल पुत्र छोटे जाति कुशवाह निवासीग्राम सैपऊ
21–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर
22–महेन्द्रसिंह पुत्र जनकसिंह जाति ठाकुर निवासी कस्वा सैपऊ जिला धौलपुर 23–प्रमोद सिंह पुत्र श्री राजेन्द्रसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम मालौनी पंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

—————— प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री गिरीश व्यास एडवोकेट (वादी)
2–श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट (प्रतिवादीगण)

निर्णय दिनांक 03.10..2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 03.04.2013 को वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 2944, 3016, 3017, 3018, 3020, 3014, 3015, 3019 स्थित वाके ग्राम सैपऊ नं0 1 तहसील सैपऊ का पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण न्यायालय उप0 आये और मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिकी किये जाने में सहमति जाहिर की। अतः दावा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 14.03.2019 को

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य उनके नाम रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें ।

तहसीलदार सैपऊ ने अपने पत्र क्रमांकःराजस्व / 2019 / 514 दिनांक 20.08.2019 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें हैं । तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर विद्वान अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादीगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं । तहसीलदार सैपऊ नें प्रेषिल विभाजन प्रस्तावों में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रिकार्ड में दर्ज भूमि के अनुसार ही भूमि प्रस्तावित की है । इस प्रकार तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम सैपऊ नं0 1 तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1-कम्पूरी पत्नी स्व0 भगवानसिंह रामवीर, राकेश, गोपाल पुत्रगण स्व0 भगवानसिंह शारदा, मीरा पुत्री स्व0 भगवानसिंह हिस्सा 1/3 तथा सुक्खन, राजवीर, सीताराम, भूरा पुत्रगण व रज्जो पुत्री पिसरान रम्भू हिस्सा 1/3 व बैकुण्ठी पत्नी स्व0 रामखिलाडी, पूरन, सुरेश, मातादीन, पुत्रगण एवं गुड्डी पुत्री पिसरान रामखिलाडी हिस्सा बराबर 1/3 जाति बघेला सा0देह खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा बीघा में	लगान
1.	3014/2	0-02	0.40
2.	3015	2-00	8.00
3.	3019	1-01	5.98
योग	3	3-03	14.38

2-निरोती पुत्र छोटे जाति काछी हिस्सा 1/3 सा0देह खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	3014/1	1-01	4.20
योग	1	1-01	4.20

3-कम्पूरी पत्नी स्व0 भगवानसिंह रामवीर, गोपाल, राकेश पुत्रगण स्व0 भगवानसिंह शारदा, मीरा पुत्री स्व0 भगवानसिंह हिस्सा 1/3 तथा सुक्खन, राजवीर, सीताराम, भूरा पुत्रगण व रज्जो पुत्री पिसरान रम्भू हिस्सा 1/3 व बैकुण्ठी पत्नी स्व0 रामखिलाडी,

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

पूरन, सुरेश, मातादीन पुत्रगण एवं गुड्डी पुत्री पिसरान रामखिलाडी हिस्सा बराबर 1/3 जाति बघेला सा0देह खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा बीघा में	लगान
1.	2944	0—02	0.30
2.	3016/2	0—05	1.43
3.	3017/2	1—14	9.70
4.	3018	1—15	9.97
5.	3020/2	0—05	1.42
योग	5	4—01	22.82

4—महेन्द्रसिंह पुत्र जनकसिंह सा0देह व प्रमोदसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह हिस्सा बराबर कौम ठाकुर सा0 मालौनी पंवार खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	3016/1	1—00	5.70
2.	3017/1	0—03	0.85
3.	3020/1	0—03	0.86
योग	3	1—06	7.41

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक—पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AT 255488

डिकी व मुकदमे ईत्वादाई

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
व इजलास – हरिसिह लंम्बोरा (आर० ए० एस०)
प्रकरण संख्या–28 / 2013

1–रामवीर पुत्र भगवानसिंह जाति गडरिया निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
.......वादी

बनाम

1–कम्पूरी वेवा भगवानसिंह जाति बघेला 2–गोपाल 3–राकेश पुत्रगण भगवानसिंह निवासी सैपऊ 4–शारदा पुत्री भगवानसिंह पत्नी केशव जाति बघेला निवासी सैपऊ हाल निवासी बिज्जा का पुरा उपतहसील मनिया तहसील व जिला धौलपुर 5–मीरा पुत्री भगवानसिंह पत्नी स्व० बनवारी जाति बघेला निवासी सैपऊ वर्तमान निवासी ग्राम गोरऊ तहसील खेरागढ जिला आगरा 6–सुक्खन 7–राजवीर 8–सीताराम 9–भूरा पुत्रगण रम्भू जाति बघेला निवासी ग्राम सैपऊ 10–रज्जो पुत्री रम्भू पत्नी रामवीर जाति बघेला निवासी ग्राम सैपऊ वर्तमान निवासी ग्राम जाटौली तहसील व जिला धौलपुर 11–बैकुन्टी पत्नी स्व० रामखिलाडी जाति बघेला निवासी ग्राम सैपऊ 12–पूरनसिंह 13–सुरेश 14–मातादीन पुत्रगण रामखिलाडी जाति गडरिया (बघेला) निवासी ग्राम सैपऊ 15–गुड्डी पुत्री रामखिलाडी पत्नी रामवरन जाति बघेला निवासी ग्राम सैपऊ वर्तमान निवासी ग्राम जाटौली तहसील व जिला धौलपुर 16–मोहनसिंह 17–कमलसिंह 18–हरीसिंह पुत्रगण श्यामा जाति बघेला निवासी ग्राम सैपऊ 19–विद्या पुत्री श्यामा पत्नी कप्तान जाति बघेला निवासी सैपऊ वर्तमान निवासी ग्राम बसेरी चाहर तहसील किरावली जिला आगरा 20–निरोतीलाल पुत्र छोटे जाति कुशवाह निवासीग्राम सैपऊ
21–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर
22–महेन्द्रसिंह पुत्र जनकसिंह जाति ठाकुर निवासी कस्वा सैपऊ जिला धौलपुर 23–प्रमोद सिंह पुत्र श्री राजेन्द्रसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम मालौनी पंवार तहसील सैपऊ जिला

————— प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AT 255489

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरिसिह लंम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री गिरीस व्यास एडवोकेट एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री किशनसिह एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है:–

1–कम्पूरी पत्नी स्व0 भगवानसिंह रामवीर, राकेश, गोपाल पुत्रगण स्व0 भगवानसिंह शारदा, मीरा पुत्री स्व0 भगवानसिंह हिस्सा 1/3 तथा सुक्खन, राजवीर, सीताराम, भूरा पुत्रगण व रज्जो पुत्री पिसरान रम्भू हिस्सा 1/3 व बैकुण्ठी पत्नी स्व0 रामखिलाडी, पूरन, सुरेश, मातादीन, पुत्रगण एवं गुड्डी पुत्री पिसरान रामखिलाडी हिस्सा बराबर 1/3 जाति बघेला सा0देह खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा बीघा में	लगान
1.	3014/2	0–02	0.40
2.	3015	2–00	8.00
3.	3019	1–01	5.98
योग	3	3–03	14.38

2–निरोती पुत्र छोटे जाति काछी हिस्सा 1/3 सा0देह खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	3014/1	1–01	4.20
योग	1	1–01	4.20

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

3—कम्पूरी पत्नी स्व0 भगवानसिंह रामवीर, गोपाल, राकेश पुत्रगण स्व0 भगवानसिंह शारदा, मीरा पुत्री स्व0 भगवानसिंह हिस्सा 1/3 तथा सुक्खन, राजवीर, सीताराम, भूरा पुत्रगण व रज्जो पुत्री पिसरान रम्भू हिस्सा 1/3 व बैकुण्ठी पत्नी स्व0 रामखिलाडी, पूरन, सुरेश, मातादीन, पुत्रगण एवं गुड्डी पुत्री पिसरान रामखिलाडी हिस्सा बराबर 1/3 जाति बघेला सा0देह खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा बीघा में	लगान
1.	2944	0—02	0.30
2.	3016/2	0—05	1.43
3.	3017/2	1—14	9.70
4.	3018	1—15	9.97
5.	3020/2	0—05	1.42
योग	5	4—01	22.82

4—महेन्द्रसिंह पुत्र जनकसिंह सा0देह व प्रमोदसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह हिस्सा बराबर कौम ठाकुर सा0 मालौनी पंवार खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	3016/1	1—00	5.70
2.	3017/1	0—03	0.85
3.	3020/1	0—03	0.86
योग	3	1—06	7.41

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक—पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर की आदेशानुसार/प्रस्तावित मानचित्र अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 03.10.2019 को जारी की गई।

(हरिसिह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ